उत्तर प्रदेशशासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या:37/2026/691जे0/22-5-2026-1200(42)/2017-ई-2057643

लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2026

वारण्ट

उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-21545/सामा-1(3)/21/लख0परि0/मानसिक बंदी/26, दिनांक 03-06-2026 द्वारा जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामवीर सिंह पुत्र स्व0 घुरई सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने हेतु अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, खीरी वापस भेज दिया जाये।

रवि शंकर मिश्र

विशेष सचिव।

संख्या-37/2026/691जे0(1)/22-5-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 03-06-2026 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। **(संलग्नक यथोक्त)**
2. जिलाधिकारी, खीरी।
3. पुलिस अधीक्षक, खीरी।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)

अनुसचिव।

1-यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकतीहै। है ।

http://shasanadesh.up.gov.in